संख्या-21/2016/वे0आ0-2-397/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2016**

विषय- उत्तर प्रदेश सचिवालय की भॉति सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रु0 1900/- दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की भॉति सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रु0 1900/- दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय से इतर विभागों में चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान रु0 2610-3540 (सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 1400/-) उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रु0 1800/-, वेतनमान रू0 2650-4000 (सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 1650/-) उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 1800/- तथा वेतनमान रु0 2750-4400 (सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 1800/-) में दफ्तरी, जमादार (अर्दली),साइक्लोस्टाइल आपरेटर, फोटोस्टेट आपरेटर तथा प्रधान माली आदि पदनाम से उपलब्ध ऐसे पद जिन पर चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम् पद से ही कतिपय शर्तों के अधीन पदोन्नति की व्यवस्था रही है, उन पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/- के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900/- विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय।

2- उपर्युक्त निर्णय के सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पद जो वेतनमान रु0 2550-3200 (सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 1300/-) उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 1800/- में है। उन पर वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/- यथावत अनुमन्य रहेगा।

3- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) के नवम् प्रतिवेदन (भाग-1) में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय विभागों में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-21/2016/वे0आ0-2-397(1)/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2)कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।